समक्ष - आई. एस. तिवाना और एम. आर. अग्निहोत्री जे.जे.

बलजीत सिंह चौहान - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 4787 ऑफ़ 1985

2 दिसंबर 1988

हरियाणा उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग अधीनस्थ कार्यालय मंत्रिस्तरीय (समूह सी) सेवा नियम, 1981- नियम 9(3)-हरियाणा सरकार के 9 फरवरी 1979 के निर्देश - सेवा नियमों के तहत पदोन्नति मानदंड-पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सह फिटनेस का आधार - सरकारी निर्देश ऐसी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं देते-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से हटाना-ऐसा विलोपन चाहे पूर्वव्यापी हो .

अभिनिर्णित - हरियाणा उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग अधीनस्थ कार्यालय मंत्रिस्तरीय (समूह सी) सेवा नियम, 1981 या संबंधित निर्देशों के किसी भी प्रावधान के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। इसके अलावा, भले ही तर्क के लिए विद्वान वकील की इस दलील को कुछ महत्व दिया जाए यानी नियम 9(3) को नजरअंदाज कर दिया जाए, फिर भी याचिकाकर्ता पैराग्राफ (6) के सामने प्रश्नगत पदों पर पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। 1979 के निर्देशों के अनुसार यह उन निर्देशों का एक अभिन्न अंग है और यह बताता है कि जब

पदोन्नति वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर की जानी है तो उक्त पदों को आरक्षित नहीं माना जा सकता है। इस परिच्छेद (6) को संभवतः नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर निर्देशों का पैराग्राफ (6) तत्काल प्रभाव से है यानी 11 अगस्त, 1988 से प्रभावी हटा दिया गया और इसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है।

(पैरा 2)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय :-

(i) मामले के पूरे रिकॉर्ड को तलब करना और उसे लागू करने के बाद :-

(ए) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी करें , अनुलग्नक पी-2 पर आक्षेपित आदेश क्योंकि संपूर्ण पदोन्नति आदेश याचिकाकर्ता के आरक्षित बिंदु पर वास्तविक और उचित दावे पर विचार किए बिना जारी किए गए हैं, जबकि उस पर ऐसी पदोन्नति के लिए विचार किया जाना था जैसा कि आरोप लगाया गया है, - अनुलग्नक पी-1 के अनुसार। संलग्नक पी-2 पर दिया गया आक्षेपित आदेश पूरी तरह से रद्द किए जाने योग्य है क्योंकि किसी भी अनुसूचित जाति के कर्मचारी के दावे पर विचार किए बिना कोई आरक्षण नहीं दिया गया है।

(बी) उत्तरदाताओं को निर्देशित करने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें

1 और 2 आरक्षित बिंदु पर याचिकाकर्ता के वास्तविक और उचित दावे पर विचार करने और याचिकाकर्ता को उस तिथि से सहायक / लेखाकार / कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के लिए, अन्य अधिकारियों को रोस्टर की प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति के लिए देय है;

(ii) उत्तरदाताओं संख्या 1 से 11 तक को यह निर्देश देना कि वे वर्तमान रिट याचिका के निर्णय तक अनुलग्नक पी-2 पर लागू आदेश को लागू न करें, जिसमें उत्तरदाताओं संख्या 12 से 30 को उनके नए कार्यभार में शामिल होने से रोका जाए;

(iii) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता से छुटकारा पाना क्योंकि याचिकाकर्ता के पास ऐसी आवश्यकता के लिए कोई समय नहीं बचा है;

(iv) अनुबंध पी-1 और पी-2 की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की आवश्यकता से मुक्ति;

(v) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे;

(vi) याचिकाकर्ताओं की इस रिट याचिका को लागत सहित स्वीकार करने के लिए।

याचिकाकर्ता के वकील पी. एस. चौहान।

बी.एस. मलिक, अतिरिक्त. प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के लिए ए.जी., हरियाणा

प्रतिवादी संख्या 18 और 23 के लिए वकील सुभाष आहूजा।

रमनजीत सिंह, अधिवक्ता और महेश ग्रोवर, अधिवक्ता उत्तरदाताओं की संख्या 14, 20, 24, 27 और 30 के लिए ।

निर्णय

आई. एस. तिवाना, जे.

(1) इन छह सिविल रिट याचिकाओं संख्या, 4787 ओ' 1985 और 217, 348, 349, 3918 और 6048 1986 में, याचिकाकर्ता या तो 9 फरवरी 1979 के हरियाणा सरकार के 1979 के निर्देशों के अनुसार निर्देशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं (इसके बाद संदर्भित किया गया है) अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों और पूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों का आरक्षण करना या याचिकाकर्ताओं को आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति दिए जाने पर उन निर्देशों का लाभ वापस लेने में अधिकारियों की कार्रवाई पर रोक लगाना। इस प्रकार इन सभी याचिकाओं में शामिल सटीक सामान्य बिंदु उपरोक्त उल्लिखित निर्देशों की व्याख्या और दायरे से संबंधित है। इनके प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:-

“हरियाणा सरकार के निर्देशों के अधिक्रमण में, - पत्र संख्या 2812-2 जीएस-1-76/11578, दिनांक 5 मई, 1976, पत्र संख्या 5074-2जीएसआई-76/21898, दिनांक 17 अगस्त, 1976, और उपर्युक्त विषय पर बाद के पत्र संख्या 38/48/78-जीएसआई, दिनांक 14 सितंबर, 1978, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के लिए

पदों के आरक्षण की मौजूदा नीति पर आगे की समीक्षा की है। और हरियाणा की सेवाओं में पूर्व सैनिकों और निम्नानुसार निर्णय लिया गया है: -

(1) (i) आरक्षण की मात्रा निम्नानुसार होगी:

सीधी भर्ती द्वारा

(a) अनुसूचित जाति के लिए	20 प्रतिशत (कक्षा I, II, III और IV पदों में)
(b) पिछड़े वर्गों के लिए।	5 प्रतिशत (कक्षा I, II, III और IV पदों में)
(c) भूतपूर्व सैनिकों के लिए।	(i) 5 प्रतिशत (कक्षा I और II पदों में) (ii) 25 प्रतिशत (श्रेणी III और IV पदों में)

प्रमोशन द्वारा

(a) अनुसूचित जाति के लिए (b) पिछड़े वर्गों के लिए	वरिष्ठता/सह-योग्यता के आधार पर 20 प्रतिशत (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर)। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों पर कोई आरक्षण नहीं होगा। वरिष्ठता/सह-योग्यता के आधार पर 5 प्रतिशत (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी

	के पदों पर)। कक्षा I और II के पदों में कोई आरक्षण नहीं होगा)।
(c) भूतपूर्व सैनिकों के लिए।	शून्य

(ii) अब से, प्रत्येक संवर्ग में 100 पदों के एक ब्लॉक में, निम्नलिखित पद अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए: -

(6) पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के मामले में जहां पदोन्नति का आधार वरिष्ठता-सह-योग्यता है वहां आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए और जहां पदोन्नति दी जानी है वहां आरक्षण का लाभ उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर।"

याचिकाकर्ताओं का मामला संक्षेप में यह है कि राज्य सरकार उपरोक्त उल्लिखित रोस्टर के आलोक में याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत करके या उन्हें रोस्टर बिंदु या पद के अनुसार पदोन्नत पदों पर बनाए रखकर इन निर्देशों को प्रभावी करने के लिए बाध्य है। उनके लिए आरक्षित माना गया। इन मामलों में प्रतिवादी अधिकारियों का आम रुख यह है कि इन निर्देशों के पैराग्राफ (6) का एक संयुक्त वाचन, जैसा कि ऊपर दिया गया है, हरियाणा उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग अधीनस्थ कार्यालय मंत्रिस्तरीय (समूह सी) सेवा नियमों के नियम 9 (3) के

साथ, 1981 में इन याचिकाकर्ताओं को ऐसे किसी भी आरक्षण का अधिकार देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रश्नगत पदों पर पदोन्नति का आधार वरिष्ठता-सह-फिटनेस था। उपर्युक्त नियम जो याचिकाकर्ताओं की सेवा को स्वीकार करता है, इस प्रकार है: -

> "9(3) सभी पदोन्नतियाँ, चाहे एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में या सेवा के एक समूह से सेवा के दूसरे समूह में, वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर और वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए की जाएंगी, लेकिन अकेले वरिष्ठता कोई अधिकार नहीं देगी ऐसे प्रमोशन के लिए।"

इन प्राधिकारियों का यह भी कहना है कि 7 जुलाई, 1981 को इन नियमों के लागू होने के बाद इस नियम की अनदेखी करके कुछ याचिकाकर्ताओं को गलत तरीके से पदोन्नति दी गई थी। अब उक्त गलती को या तो संबंधित याचिकाकर्ताओं को प्रत्यावर्तन आदेश देकर दूर कर दिया गया है या सुधार की मांग की गई है। इस स्तर पर यह ध्यान देने योग्य है कि 11 अगस्त, 1988 को हरियाणा राज्य द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार, 1979 के निर्देशों के उपरोक्त पैराग्राफ (6) को "तत्काल प्रभाव" से हटा दिया गया है। फिर सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता 11 अगस्त 1988 के नवीनतम निर्देशों से कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर तौर पर प्रश्न में निर्देशों का पैराग्राफ (6) तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, यानी 11 अगस्त 1988 से, और हटा दिया गया है। कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं, नीति में यह परिवर्तन उस तिथि से पहले उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को नियंत्रित नहीं करता है। इसलिए, जिन याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावर्तन का आदेश दिया गया है या इस आधार पर आदेश देने की मांग

की गई है कि उन्हें 1979 के निर्देशों के आलोक में गलत पदोन्नति दी गई थी, वे 11 अगस्त, 1988 के निर्देशों से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी पदोन्नति को बनाए रखने के लिए उनकी ओर से सबसे पहले, संवैधानिक अधिकार के अभ्यास में जारी किए गए 1979 निर्देश [अनुच्छेद 16(4) संविधान के अनुच्छेद 46 और 335 के साथ पढ़े गए], संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों को देना होगा इन निर्देशों का रास्ता. विद्वान वकील के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं" जिसका अर्थ है कि संविधान के इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए नियम अन्य अनुच्छेदों या प्रावधानों के तहत जारी किए गए निर्देशों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। उनके परस्पर टकराव की स्थिति में संविधान का। दूसरे, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का यह रुख है कि प्रश्न में दिए गए निर्देश न केवल विरोधाभासी हैं, यानी, पैराग्राफ (6) जैसा कि पैराग्राफ (1) के प्रभाव को खत्म करने के लिए भी देखा गया है, बल्कि यह सदस्यों के बीच भेदभावपूर्ण भी है। सेवा, यानी, जहां वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति का आदेश दिया जाना है, आरक्षण का लाभ सेवा के सदस्यों को दिया जाना है, लेकिन जब उक्त पदोन्नति की जानी हो तो इसे अस्वीकार करना होगा वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर। पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, इन दलीलों के आलोक में, हमें इनमें कोई दम नजर नहीं आता।

(2) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की पहली दलील यद्यपि प्रशंसनीय प्रतीत होती है, फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई योग्यता नहीं है कि हम 1979 के निर्देशों और 1981 के नियमों के बीच कोई विरोधाभास नहीं देखते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है। नियम 9(3) राज्य सरकार की किसी भी आरक्षण नीति का उल्लेख नहीं करता है। बल्कि इन नियमों का नियम 19 विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा आदेशित आरक्षण के प्रभाव को बचाता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

> "19. इन नियमों में शामिल कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत समय-समय पर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए जाने वाले आवश्यक आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।"

इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों और पूर्व सैनिकों के लिए पदों का आरक्षण करने से रोकता हो। इसलिए, नियमों के किसी भी प्रावधान या संबंधित निर्देशों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। इसके अलावा, भले ही तर्क के लिए विद्वान वकील की इस दलील को कुछ महत्व दिया जाए, यानी, नियम 9(3) को नजरअंदाज कर दिया जाए, फिर भी याचिकाकर्ता पैराग्राफ (6) के सामने प्रश्नगत पदों पर पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं, 1979 के निर्देशों का एक अभिन्न अंग है और यह

बताता है कि जब पदोन्नति वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर की जानी है तो उक्त पदों को आरक्षित नहीं माना जा सकता है। इस अनुच्छेद (6) को संभवतः नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1981 के नियमों के नियम 9 के उप-नियम (2) में कहा गया है कि अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, जब सेवा में कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्धारित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस तरीके से भरी जाएगी। उप-नियम प्राधिकरण को उस तरीके को निर्धारित करने का अधिकार देता है जिसमें रिक्ति भरी जानी है और जिस क्षण उक्त प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि रिक्ति को वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर भरा जाना है, पैराग्राफ (6) निर्देश पूरी तरह से लागू हो जाते हैं और अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों और पूर्व सैनिकों को उक्त निर्देशों के आलोक में पदोन्नत होने से वंचित कर देते हैं।

(3) विद्वान वकील द्वारा यह स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया है कि नियम 17 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को सेवा के किसी सदस्य को पदोन्नति का आदेश देते समय किसी भी नियम को शिथिल करने का अधिकार दिया गया है, नियम 9(3) को माना जाना चाहिए इतनी राहत तब मिली जब इन नियमों के लागू होने के बाद कुछ याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति का आदेश दिया गया। यह प्रस्तुतिकरण उन कारणों से समान रूप से निरर्थक प्रतीत होता है कि (i) इस नियम के अनुसार छूट केवल "किसी भी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी"

के संबंध में दी जा सकती है, व्यक्तियों को नहीं और (ii) ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है यह तथ्य संबंधित याचिकाकर्ताओं की संबंधित पदोन्नति के समय प्रदान किया गया था।

(4) जहां तक याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की दूसरी प्रस्तुति का संबंध है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, हम पाते हैं कि ऊपर दिए गए निर्देशों का पैराग्राफ (जी) पैराग्राफ (1) के अपवाद के रूप में है जो बताता है अनुसूचित जाति/जनजाति और पूर्व सैनिकों के सदस्यों के पक्ष में नियुक्ति का तरीका और आरक्षण की सीमा। हालाँकि पहले पैराग्राफ के अनुसार, इन वर्गों के सदस्यों को आरक्षण उपलब्ध है, फिर भी पदोन्नति के मामले में इन आरक्षणों का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, जो कि वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर दिए जाने हैं। अतः दोनों अनुच्छेदों में कोई विरोधाभास नहीं है।

(5) जहां तक भेदभाव का प्रश्न है, सी.ए. राजोन्द्रन बनाम भारत संघ और अन्य[1] में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों के आलोक में यह तर्क खारिज किए जाने योग्य है, एक समान विवाद की जांच करते हुए:-

> “श्री एन. सी. चटर्जी का यह भी तर्क था कि आक्षेपित आदेश, अनुबंध 'सी' मनमाने ढंग से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और स्वयं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भेदभाव करता है। आक्षेपित आदेश के तहत उन नियुक्तियों के लिए आरक्षण रखा गया है जिनके लिए सीधी भर्ती होती है और (1) चयन, सीआर (2) द्वारा विभागीय उम्मीदवारों तक

[1] 1968 SLR 65

सीमित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर पदोन्नति के लिए आरक्षण रखा गया है। वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में कोई आरक्षण नहीं है। हमारी राय में, इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के उद्देश्य से कर्मचारियों का एक उचित वर्गीकरण हो सकता है और सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच वर्गीकरण उचित है।

(मर्विन कॉन्टिन्हो और अन्य बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे और एस. सी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ में इस न्यायालय के फैसले देखें।)

(6) इस प्रकार किसी भी कोण से जांच की जाए तो याचिकाकर्ताओं का दावा निराधार है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। इसलिए, हम लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के इन याचिकाओं को खारिज करते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)